न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 134/2024

अकबर खां पुत्र मीरखां व अन्य
बनाम
हुसैन पुत्र सिन्धल वगैरा

दिनांक 15 **.04.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गड़ारोड (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/मुकदमा नम्बर 19/2023 बअनवान हुसैन वगैरा बनाम अकबर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 4–प्रार्थी–हुसैन वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गड़ारारोड स्थित ग्राम देताणी के ख0नं0 2699/2211 रकबा 4.5972 हैक्टर संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.05.2024 द्वारा स्वीकार कर, भू.अ.निरीक्षक हरसाणी को वादग्रस्त खसरान की वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों तथा लैण्ड रिकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए पक्की नेखमबंदी कराने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांट श्री कानाराम गोदारा एवं रेस्पो0सं0 1 व 4 की ओर से श्री पीराणे खान एवं रेस्पो0सं0 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी–हुसैन वगैराह ने आवेदन प्रस्तुत कर तहसील गड़ारारोड़ स्थित ग्राम देताणी के ख0नं0 2699/2211 की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसके पडौस में अपीलांट्स की ख0नं0 2214 व 2211 की सह–खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने को आमदा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतों के मध्य सीमा की स्थिति की जानकारी लिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अंतिम पैरा में मौजा दुधोडा स्थित ख0नं0 2699 / 2211 की पुलिस इमदाद से नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया, प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 9, 11 व 15 के गलत नाम अंकित किये गये। अतः उक्त त्रुटीपूर्ण प्रार्थना पर पारित अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतों के मध्य सीमा चिन्ह सेढे आंधियों से विखर जाने का उल्लेख किया गया, जबकि मौके पर दोनों खसरान के मध्य अलग–अलग मुटाम स्थापित होकर, दोनों पक्ष अपने–अपने हक–हिस्से पर काबिज है। अपीलाधीन आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के बिना पारित कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नही है। कानूनन लैण्ड रिकॉर्ड्स ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर उनकी देखरेख में ही सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा सकती है अथवा करवायी जा सकती है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2017(2) आरआरटी 1084 पेज नं0 1084–88 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी सं0 2 से 8 (अपीलांट) जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, किंतु इनकी ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया, हस्तगत अपील प्रकरण को लंबित रखने की मंशा से प्रस्तुत की गई है। रेस्पो0–प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। अपीलाधीन आदेश द्वारा वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए करवाने का पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार गडरारोड द्वारा सर्वे टीम गठन का आदेश कमांक 648 दिनांक 16.5.24 पारित कर दिया गया, मौके पर न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.5.24 के कारण पालना नही हो पा रही है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां यथा अपीलाधीन आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गडरारोड द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सर्वे टीम गठन का आदेश कमांक 648 दिनांक 16.5.24 की प्रति एवं आरआरटी 2022–23 (SUPP.) आरआरटी 132 पेज 132–34 की प्रति प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 9 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं न्यायिक निर्णयों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अपीलाधीन आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं अप्रार्थी सं0 20–तहसीलदार गडरारोड़ की रिपोर्ट/जवाब प्रार्थना पत्र के बिना ही पारित कर दिया गया। जो कि विधि अनुसार आज्ञापक है। चूंकि अपीलांट्स हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गड़रारोड (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन/मुकदमा नम्बर 19/2023 बअनवान हुसैन वगैरा बनाम अकबर वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 15/4/26. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

15/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर